भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 112

दिनांक 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

जिलों को निर्यात केंद्र बनाए जाने संबंधी पहल

***112 : डॉ. हेमंत विष्णु सवराः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने जिलों को निर्यात केंद्र बनाए जाने संबंधी पहल के अंतर्गत देश के सभी जिलों में निर्यात संभावना की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो विशेषतः पालघर जिले सहित महाराष्ट्र तथा राज्य–वार अब तक चिन्हित अवस्थलों एवं उत्पादों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विशेषतः पालघर जिले में 'वोकल फॉर लोकल' के अंतर्गत कोई अन्य पहल की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रखा गया हैः

****

'जिलों को निर्यात केन्द्र बनाए जाने संबंधी पहल' के संबंध में दिनांक 30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 112 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): जी हां, सरकार ने 'जिलों को निर्यात केन्द्र बनाए जाने संबंधी पहल' के तहत जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उपाय किए हैं। इनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को चिन्हित करना शामिल है। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला स्तर पर राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीइपीसी) का गठन करके एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है।

इस पहल के तहत, आपूर्ति श्रृंखला में मौजूदा बाधाओं का विवरण देने और मौजूदा अंतराल को कम करने के लिए संभावित उपायों को चिन्हित करने हेतु जिला निर्यात कार्य योजनाएं 590 जिलों के लिए तैयार की गई हैं और शेष जिलों के लिए तैयार की जा रही हैं।

"निर्यात केन्द्रों के रूप में जिलों" के अंतर्गत जिलों से निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), क्षेत्रीय प्राधिकारियों के माध्यम से राज्यों और जिलों के साथ विशिष्ट निर्यात संवर्धन आउटरीच कार्यक्रम और संभावित निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है। डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म के सहयोग से निर्यातकों को सहायता प्रदान करने, उत्पादों के व्यापार को बढावा देने और ई–कॉमर्स मार्ग के माध्यम से निर्यात करने के लिए नए व्यवसायों को आगे बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है। दिनांक 26.06.2024 को मुंबई क्षेत्र में ई–कॉमर्स पर एक आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जिसमें पालघर सहित मुंबई के नजदीकी जिलों के निर्यातकों को आमंत्रित किया गया था।

सरकार ने 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के तहत विशेषतः पालघर जिले में कई पहल की हैं। पालघर के जव्हार में चित्रवार्ली फांउडेशन फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट क्लस्टर, वार्ली पेंटिंग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह क्लस्टर सूक्ष्म और लघु उद्यम–क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसआई–सीडीपी) के तहत संचालित होता है और वार्ली पेंटिंग के उत्पादन से जुड़ी 40 इकाइयों को लाभान्वित करता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए लघुस्वप्न, 2024 जैसे निर्यात संवर्धन कार्यक्रम और स्थानिय उद्यमिता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, जिले से चीकू को बढावा देने के लिए पालघर जिले के पालघर रेलवे स्टेशन और सफाले रेलवे स्टेशन पर ओडीओपी स्टॉल शुरू है।

'जिलों को निर्यात केन्द्र बनाए जाने संबंधी पहल' और ओडीओपी पहल के तहत दहानू घोलवड चीकू (सपोटा), लोहा और इस्पात उत्पाद, रासायनिक/फार्मास्युटिकल उत्पाद, वार्ली पेटिंग (हस्तशिल्प) और समुद्री उत्पाद महाराष्ट्र के पालघर जिले से चिन्हित किए गए उत्पाद हैं।

महाराष्ट्र सहित राज्य–वार सभी जिलों की सूची जहां 'जिलों को निर्यात केन्द्र बनाए जाने संबंधी पहल' के तहत उत्पादों/सेवाओं को चिन्हित किया गया है, डीजीएफटी पोर्टल पर नीचे दी गई लिंक में (https://www.dgft.gov.in/CP/) उपलब्ध है।

*****